प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में यूपीडा ने तय कीं भूखंडों की दरें

अलीगढ़ नोड में 4,005 रुपये प्रतिवर्ग मीटर रेट निर्धारित

- आगरा में 2,739 व लखनऊ में 1,716 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दरें तय
- झांसी में 529 व चित्रकूट नोड में 860 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से मिलेंगे भूखंड

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने रक्षा औद्योगिक गलियारे में भूखंडों की दरें निर्धारित कर दी हैं। सबसे ज्यादा 4,005 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर अलीगढ़ नोड में निर्धारित की गई है, जबकि सबसे कम दर झांसी नोड में 529 रुपये प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित की गई है। वहीं आगरा नोड में 2,739 रुपये, लखनऊ नोड में 1,716 रुपये, कानपुर नगर में 1,316 रुपये व चित्रकूट नोड में 860 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भूखडों की कीमतें तय की गईं हैं।

उत्तर प्रदेश को रक्षा उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारे के छह नोड की स्थापना की जा रही है। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, चित्रकूट व झांसी में स्थापित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में कंपनियों को रक्षा उपकरणों की इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। इसे लेकर यूपीडा बोर्ड ने सभी छह नोड्स में भूखंडों की दरें निर्धारित कर दी हैं। यूपीडा के सूत्रों के अनुसार निर्धारित रेट में पांच से दस प्रतिशत का अंतर आ सकता है।

रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत यूपीडा ने झांसी में 2,686 एकड़, चित्रकूट में 707 एकड़, कानपुर नगर में 551 एकड़, अलीगढ़ में 399 एकड़, लखनऊ में 396 एकड़ व आगरा में 278 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। सभी छह नोड में अभी तक 5,017 एकड़ भूमि उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि में से रक्षा औद्योगिक इकाइयों को करीब 70 प्रतिशत भूमि आवंटित करने की रणनीति यूपीडा ने तय की है। भूखंडों का आकार ढाई से तीन एकड़ के बीच होगा जिसे विकसित करने पर तीन करोड़ से अधिक की लागत आने की उम्मीद है।

आइएमएलसी के लिए भी भूखंडों की संभावित दरें निर्धारित: यूपीडा बोर्ड ने एक्सप्रेसवे के किनारे 26 जिलों में बनने वाले 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) के लिए भी भूखंडों की संभावित दरें निर्धारित कर दी हैं। यूपीडा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गईं दरों में भूमि के अधिग्रहण और विकास की लागत व दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय को भी शामिल किया गया है। डीएम सर्किल रेट में बढ़ोतरी व अन्य कारणों से निर्धारित दरों में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। उद्योगपतियों को इकाइयों की स्थापना के लिए तीन विकल्प दिए जाएंगे। इनमें खुद के उपयोग के लिए बड़े भूखंड, टेलर मेड औद्योगिक भूखंड व पीपीपी माडल पर क्लस्टर या औद्योगिक पार्क विकसित करने के विकल्प शामिल हैं।

आइएमएलसी योजना में भूखंडों की कीमत

जिला	निर्धारित दर	जिला	निर्धारित दर
संभल	4,650	चित्रकूट	2,730
मेरठ	9,760	औरैया	7,020
उन्नाव	5,010	महोबा	3,510
हरदोई	3,120	हमीरपुर	2,810
बदायूं	4,420	फिरोजाबाद	3,980
शाहजहांपुर	3,800	इटावा	4,310
अमरोहा	4,170	कन्नौज	2,980
प्रतापगढ़	4,290	सुलतानपुर	4,000
रायबरेली	3,930	अंबेडकर	4,950
हापुड़	5,090	गाजीपुर	6,980
प्रयागराज	4,840	बाराबंकी	3,580
बांदा	4,660	अमेठी	3,830
जालौन	2,980	अंबेडकरनगर	4,800
		गोरखपुर	6,080

नोट: (रुपये, प्रति वर्ग मीटर में)